

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स

परिवहन एवं आयुध इकाई चतुर्थ तल, जवाहर भवन, उ०प्र० लखनऊ-।

संख्या:लाजि०/आरमोरर-दस-560-97

दिनांक जुलाई 26 2017

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,  
उ०प्र० पुलिस,  
तकनीकी सेवायें मुख्यालय,  
लखनऊ।

विषय आरक्षी आरमोरर पुलिस से मुख्य आरक्षी आरमोरर पुलिस के पद पर पदोन्नति परिणाम सूची व अपूर्ण सेवा अभिलेख होने वाले कर्मी की सूची का प्रकाशन।

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2016 के संगत प्रावधानों के अनुसार आरक्षी आरमोरर से मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर पदोन्नति की सूची व अपूर्ण सेवा अभिलेख होने वाले कर्मी की सूची का प्रकाशन किये जाने विषयक है।

2- उक्त संबंध में लाजिस्टिक्स कार्यालय के पत्र संख्या: लाजिस्टिक्स/आरमोरर-दस-560-97 दिनांक 24-07-2017 व 25.07.2017 के द्वारा आरक्षी आरमोरर पुलिस से मुख्य आरक्षी आरमोरर पुलिस के पद पर पदोन्नति परिणाम व अपूर्ण सेवा अभिलेख होने वाले आरक्षी आरमोररों का आदेश पारित किया गया है।

3- अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त आदेश की प्रति को उत्तर प्रदेश पुलिस के वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोपरि।

  
(एस०के०शुक्ला)

अपर पुलिस अधीक्षक, लाजिस्टिक  
नि० अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक  
उत्तर प्रदेश।

# कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक (परिवहन / आयुध)

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग- लखनऊ-226001-फैक्स नम्बर-0522-2288824  
संख्या: लाजिस्टिक / आरमोरर-दस-560-97

दिनांक: जुलाई 25, 2017

## आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली- 2016 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत चयन समिति द्वारा निम्नलिखित आरक्षी आरमोरर को मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर पदोन्नति हेतु विचार कर यह पाया गया कि :-


“अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण उनकी उपयुक्तता के बारे में चयन समिति द्वारा वस्तुनिष्ठ निर्णय नहीं लिया जा सका। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए संबंधित चयन वर्ष में पद रिक्त रखे गये हैं तथा इनका उल्लेख संबंधित वर्ष के चयन में कर दिया गया है। पूर्व सेवा अभिलेख प्राप्त होने पर इन्हें आगामी चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उचित निर्णय कराया जाना अपेक्षित है।”

क्र० सं०	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जनपद / इकाई का नाम	चयन का वर्ष	स्थगित रखे जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	801270073	भारत सिंह	श्री दुर्गा प्रसाद	47वीं वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद	2015	वर्ष 2005 से 2009 तक के वार्षिक मन्तव्य अंकित नहीं होने / अपूर्ण होने के कारण।
2	812014080	शशिपाल सिंह	श्री नृपत सिंह	अलीगढ़.	2015	वर्ष 2006, 2007 व 2008 के वार्षिक मन्तव्य अंकित नहीं होने / अपूर्ण होने के कारण।
3	822391254	अखिलेश कुमार पाण्डेय	श्री भागीरथी पाण्डेय	ललितपुर	2015	वर्ष 2011, 2012, 2013 व 2014 के वार्षिक मन्तव्य अंकित नहीं होने / अपूर्ण होने के कारण।
4	822250094	राधे राम	श्री सरु	37वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर	2015	वर्ष 2005, 2006 व 2007 के वार्षिक मन्तव्य अंकित नहीं होने / अपूर्ण होने के कारण।

2. उपरोक्त आरक्षी आरमोरर के संबंध में अभिलेख प्राप्त / पूर्ण होने पर इन आरक्षी आरमोरर के प्रकरणों पर प्राधिकृत चयन समिति द्वारा नियमानुसार शीघ्र विचार किया जायेगा एवं उपयुक्त पाये जाने की दशा में इन्हें कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से समस्त सेवा लाभ देय होगा।

3. सभी संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह शीघ्र संबंधित आरक्षी आरमोररों के सेवा अभिलेख लाजिस्टिक्स कार्यालय से प्राप्त कर यथाशीघ्र पूर्ण कराकर लाजिस्टिक्स कार्यालय को बोर्ड प्रपत्र-30 में सूचना सहित सेवाभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. उक्त आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस के वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

  
(दलजीत सिंह चौधरी)

अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स,  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक, अलीगढ़ एवं ललितपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने जनपद में तैनात उक्त कर्मी का सेवाभिलेख तत्काल पूर्ण कराकर संशोधित बोर्ड प्रपत्र-30 मय चरित्र पंजिका के यथाशीघ्र लाजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. सेनानायक, 47वीं वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद एवं 37वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने पीएसी वाहिनी में तैनात उक्त कर्मी का सेवाभिलेख तत्काल पूर्ण कराकर संशोधित बोर्ड प्रपत्र-30 मय चरित्र पंजिका के यथाशीघ्र लाजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वाही।

1. प्रतिलिपि पुलिस उपमहानिरीक्षक, झॉसी एवं आगरा परिक्षेत्र।
2. प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ।

# कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक (परिवहन / आयुध)

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग- लखनऊ-226001- फ़ैक्स नम्बर-0522-2288824  
संख्या: लाजिस्टिक / आरमोरर-दस-560-97

दिनांक: जुलाई 21, 2017

## आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली- 2016 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत सेना का आरमोरर ग्रेड-3 उत्तीर्ण आरक्षी आरमोररों को अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित आरक्षी आरमोरर को मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 18.07.2017 को अनुमोदित किये जाने की तिथि से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर इस शर्त के साथ पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं०	अन्तिम वरिष्ठता सूची का क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जनपद / इकाई	चयन का वर्ष
1	2	772650931	शौ सिंह	जनक सिंह	हापुड	2015
2	3	800630328	परशुराम चौधरी	भागीरथी चौधरी	33 पीएसी झाँसी	2015
3	4	782500659	ददन राम	राम कृपाल प्रसाद	जौनपुर	2015
4	5	802331089	सुभाषचन्द यादव	जसवन्त सिंह यादव	मेरठ	2015
5	6	820901176	कृत सिंह	बच्चन सिंह	मेरठ	2015
6	7	812260874	महावीर शंखवार	जखई प्रसाद	हमीरपुर	2015
7	8	812290268	नौरतन सिंह	रामेश्वर दयाल	कानपुर नगर	2015
8	9	802660655	इच्छा राम	शिवरतन	ए.पी.टी.सी. सीतापुर	2015
9	10	812500877	लाल साहब सिंह यादव	मुन्नी यादव	मऊ	2015
10	11	802012502	राजबहादुर सिंह	बिजेन्द्र सिंह	कन्नौज	2015
11	12	802420899	विश्वनाथ सिंह	बैताली	औरैया	2015
12	13	800930864	छक्कीलाल	हरी कृष्ण	ललितपुर	2015
13	14	772420453	गंगा दीन	गामा दीन	इलाहाबाद	2015
14	15	792810838	राम प्रताप सिंह	हरिनाम सिंह	जालौन	2015
15	16	802240954	रामकेश	सूरज प्रसाद	झाँसी	2015
16	18	800750176	जगराम सिंह	श्री नारायण दास	28वीं वाहिनी	2015
17	20	782031298	शेख सुवान	शेख रज्जव	हमीरपुर	2015
18	21	790460187	सत्यप्रकाश सिंह	श्री शिवनाथ	44वीं वाहिनी पीएसी	2015
19	22	812370331	बृजनन्दन मिश्रा	सतानन्द मिश्रा	कानपुर देहात	2015
20	23	801090125	विजय पाल सिंह	श्री हरस्वरूप सिंह	पीटीएस मुरादाबाद	2015
21	24	810770979	लक्ष्मण सिंह	रययत सिंह	बुलन्दशहर	2015

22	25	832461752	सुनील कुमार सिंह	राज बहादुर सिंह	इटावा	2015
23	26	812610477	रमेश कुमार सिंह	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	चन्दौली	2015
24	27	790470120	चन्द्रभान सिंह	श्री पन्ना लाल	केन्द्रीय भण्डार सीतापुर	2015
25	28	812540103	कालूराम	ओमप्रकाश	बुलन्दशहर	2015
26	29	810500295	शैलेश कुमार चौबे	राम ललित चौबे	केन्द्रीय भण्डार सीतापुर	2015
27	30	810896217	लल्लन यादव	झिल्लर यादव	जीआरपी इलाहाबाद	2015
28	31	812351446	सैयद यूसुफ हुसैन	सैयद मुस्ताक हुसैन	बाराबंकी	2015
29	32	822251068	देवेन्द्र नाथ मिश्रा	रामि बिलास	लखनऊ	2015
30	34	810720378	छोटे लाल	कुँवर लाल	पीटीसी सीतापुर	2015
31	35	801100086	विवेका नन्द शुक्ला	लक्ष्मीनारायण शुक्ला	एपीटीएस मिर्जापुर	2015
32	36	812470741	ओम प्रकाश प्रसाद	बुधई प्रसाद	गोरखपुर	2015
33	37	810530230	बेंचई लाल	बैजनाथ	फतेहपुर	2015
34	38	822292759	सत्यप्रकाश गौतम	मुंशीलाल गौतम	बागपत	2015
35	39	850550511	रतन लाल	शिवचरन	पीटीसी मुरादाबाद	2015
36	41	842340122	सतीश कुमार	रामाधार	कानपुर नगर	2015
37	42	822358567	प्रीतम राम पाल	भगवान दास पाल	खीरी	2015
38	44	812340468	जीतेन्द्र नाथ शर्मा	नाथूराम शर्मा	जीआरपी झाँसी	2015
39	46	820670243	ज्ञानेन्द्र कुमार दीक्षित	राजेन्द्र बहादुर दीक्षित	झाँसी	2015
40	47	822032281	राम कुमार मौर्य	रामाधीन मौर्य	इलाहाबाद	2015
41	48	822480413	जंग बहादुर	राम खेलावन	इटावा	2015
42	49	802220327	राम कुंवर राम	श्याम लाल	गोरखपुर	2015
43	51	802012922	शिव किशोर मिश्र	रामकृष्ण मिश्र	लखनऊ	2015
44	53	812070374	जगवीर सिंह	घनश्याम सिंह	जीआरपी आगरा	2015
45	54	822491231	विद्याराम	श्री रामसिंह	एटा	2015
46	56	822810623	दर्शन लाल	राम भरोसे	फतेहगढ़	2015
47	57	830550179	दयासागर	प्रेमराम	मुरादाबाद	2015
48	58	842430430	लेखराज	राम दयाल	रायबरेली	2015
49	59	832510063	महावीर सिंह	शोभा सिंह	बिजनौर	2015
50	60	840521518	तेज सिंह	श्री रतीराम	15वी वाहिनी पीएसी	2015
51	64	810470387	मदनपाल सिंह	नत्थूसिंह	पीलीभीत	2015
52	66	820560265	अमर सिंह	रामशरण सिंह	डा0 भीमराव अम्बेडक पुलिस अकादमी मुरादाबाद	2015
53	67	822233235	सुरेश चन्द्र यादव	आछे लाल	फिरोजाबाद	2015
54	68	820770800	राजेश सिंह	श्री राम चरन सिंह	47 पीएसी	2015
55	70	872800265	सतेन्द्र कुमार	श्री हरपाल सिंह	गौतमबुद्धनगर	2015

56	72	832150270	दीपचन्द	विजयपाल सिंह	मेरठ	2015
57	75	822121727	जीराज सिंह	श्री मोती सिंह	जनपद-बदायूँ	2015
58	76	830650231	दिनेश द्विवेदी	कपिलमुनि द्विवेदी	35 वीं वाहिनी पीएसी	2015
59	80	822414724	बेदराम	श्री भारत सिंह	एटा	2015
60	81	840500252	रमेश चन्द्र	मसी चरण	मुरादाबाद	2015
61	84	812320251	परमहंस यादव	श्री लालचन्द यादव	आजमगढ़	2015
62	85	842031503	राम औतार	भैयादीन	ललितपुर	2015
63	89	832390414	विजय सिंह	राम सनेही	गाजियाबाद	2015
64	92	832440252	राजेश कुमार सिंह	बाबु सिंह	सीतापुर	2015
65	94	820580195	मंगल सिंह	भोपाल सिंह	सीतापुर	2015
66	99	830670363	छेल बिहारी	रघुनाथ प्रसाद	45 पीएसी	2015
67	103	832231098	विजय सिंह	चन्द्रभान सिंह	गाजियाबाद	2015
68	105	832370050	अशोक कुमार	जिलेदार सिंह यादव	कानपुर नगर	2015
69	108	852120954	महेश चन्द्र जोशी	तारादत्त जोशी	पीलीभीत	2015
70	110	852530032	कुवरपाल सिंह	श्री रामस्वरूप	44वीं वाहिनी पीएसी	2015
71	111	840500614	रामजी चौधरी	दर्शन चौधरी	बहराइच	2015
72	112	832590319	विजय कुमार श्रीवास्तव	गणेश प्रसाद श्रीवास्तव	शॉहजहाँपुर	2015
73	113	840680699	सुनील कुमार शर्मा	श्री रामेश्वर दयाल शर्मा	एटा	2015

2- पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी आरमोरर अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवानियमावली के प्राविधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मियों नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी आरमोरर से संलग्न प्रारूप(क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनोदश दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियां संबंधित आरक्षी आरमोरर के विरुद्ध विद्यमान न हो:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं, तो सम्बन्धित मुख्य आरक्षी आरमोरर के पर पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान पायी जाती हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी आरमोरर के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लाजिस्टिक्स कार्यालय लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

यदि सम्बन्धित आरक्षी आरमोरर द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया जाता है तो उसकी पदोन्नति निरस्त कर उसे मूल पद पर पदावनत करते हुये उसके विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

6. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप(क)

दलजीत सिंह

(दलजीत सिंह चौधरी)

अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स,

उत्तर प्रदेश।

24/07/17

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, पी0टी0एस0 मुरादाबाद/पी0टी0सी0 सीतापुर/सशस्त्र पुलिस विद्यालय मीरजापुर/पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद/डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद।
- 2— वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हापुड़/जौनपुर/मेरठ/हमीरपुर/कानपुरनगर/मऊ/कन्नौज/औरैया/ललितपुर/इलाहाबाद/जालौन/झांसी/कानपुरदेहात/बुलन्दशहर/इटावा/चन्दौली/बाराबंकी/लखनऊ/गोरखपुर/फतेहपुर/बागपत/खीरी/एटा/फतेहगढ़/मुरादाबाद/रायबरेली/बिजनौर/पीलीभीत/फिरोजाबाद/गौतमबुद्धनगर/बदायूँ/आजमगढ़/गाजियाबाद/सीतापुर/बहराइच/शाहजहाँपुर।
- 3— पुलिस अधीक्षक, रेलवेज, आगरा/इलाहाबाद/झांसी।
- 4— सेनानायक, 28वीं वाहिनी पीएसी इटावा/44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ/15वीं वाहिनी पीएसी आगरा/47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद/35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ/45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़।
- 5— सेनानायक, 11वीं वाहिनी पीएसी एवं केन्द्रीय भण्डार सीतापुर।
- 6— समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स उ0प्र0।
- 7— पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय महानगर लखनऊ।
- 8— समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।
- 9— पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेलवे, लखनऊ/इलाहाबाद।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित:—

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ।

स्वघोषणा-पत्र

मै.....(नाम / पदनाम .....व.....  
 पीएनओ.....पुत्र.....निवासी.....थाना.....  
 जनपद.....वर्तमान में(जनपद / इकाई का नाम).....नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

“ मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1)के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।”

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुए मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा -पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर  
 (नाम / पदनाम / पीएनओ सहित)  
 नियुक्ति स्थान / दिनांक

यदि सम्बन्धित मुख्य आरक्षी आरमोरर के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1)के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश / दिनांक तथा कारण.....
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1)के अन्तर्गत जनपद / इकाई.....में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक .....को आरोप पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०.....धारा.....थाना.....जनपद.....में लम्बित है, जिसमें दिनांक.....को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी .....द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में .....स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर  
 (नाम / पदनाम / पीएनओ सहित)  
 नियुक्ति स्थान / दिनांक

प्रमाणित

जनपद / इकाई के प्रभारी  
 नाम / पदनाम की मुहर

नोट:-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट(x)दिया जाय।